वैशाली समाहरणालय, हाजीपुर
(जिला भूमि सुधार प्रशाखा)

पत्रांकः– 647 / जिला भू0सु0, दिनांक 16.4.2015

प्रेषक,

समाहर्त्ता,
वैशाली।

सेवा में,

अनुमण्डल पदाधिकारी, हाजीपुर / महुआ एवं महनार।
उप समाहर्त्ता भूमि सुधार, हाजीपुर / महुआ एवं महनार।
सभी अंचल अधिकारी, वैशाली जिला।

विषय :– **ऑपरेशन भूमि दखल देहानी आवंटित भूमि के अन्तर्गत बेदखल कर दिये गये पर्चाधारियों को दखल दिलाने हेतु पूर्व निर्धारित समय सीमा दिनांक 31.03.15 से दिनांक 30.06.15 तक बढ़ाने के संबंध में।**

प्रसंग :– प्रधान सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक 143 / सी0, दिनांक 01.04.15

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि सरकार द्वारा आवंटित भूमि से बेदखल किये गये पर्चाधारियों का पता लगाने हेतु विभाग के पत्रांक 590 दिनांक 08.09.14 के निदेशानुसार दिनांक 31.03.15 तक बेदखली का पता लगाने तथा इसकी सूची प्रपत्र–2 में जिला के बेवसाईट पर डालने हेतु निदेश एवं विशेष शिविर आयोजन की तिथि निर्धारित कर भेजा गया था, किन्तु संतोषजनक उपलब्धि हासिल नहीं हुआ।

दिनांक 27.03.15 को राज्य स्तरीय समीक्षात्मक बैठक में असंतोष व्यक्त करते हुए पुनरीक्षित कार्यक्रम तैयार कर दिनांक 30.06.15 तक दखल दिलाने की कार्रवाई को कड़ाई से अनुपालन करने का निदेश दिया गया है। विशेष शिविर आयोजन की तिथि निर्धारित कर भेजते हुए निदेश दिया जाता है कि पंचायतों में वृहत प्रचार–प्रसार कर निर्धारित तिथि (30.06.15) तक बेदखली का पता लगाकर प्रपत्र–2 में जिला के बेवसाईट पर डाला जाय। साथ–साथ दखल दिलाने की भी कार्रवाई सुनिश्चित की जाय। बेदखल पर्चाधारियों को दखल दिलाने के लिए विशेष शिविरों में अंचल अधिकारी अन्य राजस्व कर्मियों के साथ स्वयं उपस्थित रहेंगे तथा उनके साथ पर्याप्त पुलिस बल एवं पुलिस पदाधिकारी विशेष रूप से प्रतिनियुक्त रहेंगे। यदि विशेष शिविर में नया पर्चाधारी की जानकारी मिलती है तो उसे भी प्रपत्र–1 में नियमानुसार दर्ज करेंगे।

उपरोक्त समयवद्ध अभियान की समीक्षा एवं अनुश्रवण अनुमण्डल स्तर पर अनुमण्डल पदाधिकारी एवं भूमि सुधार उप समाहर्त्ता दैनिक रूप से करेंगे।

अतः विशेष शिविर का कार्यक्रम तथा प्रसांगिक पत्र की छाया प्रति संलग्न है के आलोक में विशेष शिविर में पाये जाने वाले बेदखल पर्चाधारियों का प्रतिवेदन प्रपत्र–2 एवं दखल दिलाये गये पर्चाधारियों का प्रतिवेदन प्रपत्र–3 में जिला के बेवसाईट पर अपलोड करते हुए नियमित रूप से प्रतिवेदन अधोहस्ताक्षरी को भेजना सुनिश्चित करेंगे।

कृपया इसे सर्वोच्च प्राथमिकता दें।

अनु0– (1) प्रसांगिक विभागीय पत्र की छाया प्रति।
(2) विशेष शिविर हेतु कार्यक्रम की प्रति

विश्वासभाजन,

ह0/–

समाहर्त्ता,
वैशाली।

ज्ञापांक :– 647 / जिला भू0सु0, दिनांक– 16.4.2015

प्रतिलिपि :– पुलिस अधीक्षक, वैशाली को सूचनार्थ एवं अपने स्तर से आवश्यक कार्रवाई करने हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :– आयुक्त के सचिव, तिरहुत प्रमण्डल, मुजफ्फरपुर को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :– सभी थानाध्यक्ष, वैशाली जिला को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

16.4.15

समाहर्त्ता,
वैशाली।

D:\REVENUE Dept-2015-16\Office Letter.docx-24